

विचार बिन्दु

झूठ की सजा यह नहीं कि उसका विश्वास नहीं किया जाता बल्कि वह किसी का विश्वास नहीं कर सकता। -शेक्सपियर

गिरफ्तारी बनाम जमानत (Arrest Versus Bail)

वह युग समाप्त हो चुका है जब 'दांत के बदले दांत' अथवा 'आंख के बदले आंख' न्याय का तरीका था। भारत ने जब अपना संविधान बनाया, उस समय देश Universal Declaration of Human Rights (UDHR) से अच्छी तरह परिचित था। देश के लोग समझते थे कि मानव अधिकारों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है सिविल व राजनीतिक अधिकार तथा द्वितीय है आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार। देश के लोगों ने संकल्प लिया कि सभी को न्याय मिलेगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि हमारे मूल अधिकार (Fundamental Rights) हमारे संविधान के अभिन्न अंग हैं और इनमें ही निहित हैं, मानव अधिकार। अतः हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मानव अधिकार हमारे मूल अधिकार हैं और वे कोर्ट में प्रवर्तनीय हैं। संविधान के चैप्टर III में मूल अधिकार हैं जो हमारे राजनीतिक अधिकार हैं और चैप्टर IV में हमारे सामाजिक व आर्थिक अधिकार हैं। सन 1966 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव को गरिमा को ऊंचा धरातल मिला और दो संघियों का जन्म हुआ। International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 व International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966 भारतीय संविधान की व्याख्या करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 21 को जिनमें समानता Right to Life Liberty को बहुत महत्वाकीर्ण ऋचाईयों तक पहुँचाया है।

फौजदारी कानून के निम्नलिखित मान्य सिद्धान्त हैं जिनकी पालना करना न्याय के लिये आवश्यक है। ये मान्य सिद्धान्त हमें संविधान, मानव अधिकारों में तथा ICCPR, 1966, Criminal Procedure Code, 1973 में देखने को मिलेंगे :-

- 1) जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का चार्ज है वह उस समय तक निर्दोष माना जावेगा, जब तक कानून की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही में वह दोषी नहीं पाया जाता। (ICCPR. PreveGUSo 14(2))
- 2) प्रत्येक व्यक्ति को Right to Liberty and Security of Person प्राप्त है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसे गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारण व विवरण दिये जावेंगे। उसे यह भी बताया जायेगा कि उसके विरुद्ध आरोप क्या है? उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। गिरफ्तारी अवैध होने पर वह हर्जा प्राप्त करने का अधिकारी भी होगा। (ICCPR के अनुच्छेद 9(2)(3)(4)(5))
- 3) फेयर व स्पीडी ट्रायल व्यक्ति का मूल अधिकार है।
- 4) प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि आरोपी दोषी है। आरोपी निर्दोष है, अतएव शंका का लाभ उसे प्राप्त होगा।

5) कई देशों में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जमानत का अधिकार नहीं है। आरोपी जेल में रहेगा, जब तक ट्रायल पूरी नहीं होगी। भारत में दो प्रकार के फौजदारी केस हैं। जमानती व गैर जमानती (Bailable or Nonbailable) देश में Anticipatory Bail (Oeeje 437 Cr.P.C.) का भी प्रावधान है। जमानत देना/न देना कोर्ट के विवेक पर निर्भर रहता है। देश में Detention के कानून हैं जहाँ जमानत नहीं दी जाती अथवा जमानत दिये जाने के कठिन कारण हैं। TADA, POTA, MCOCA व PMLA, 2002 (धारा 45) चूँकि ये कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंध रखते हैं अतः न्यायालय को न्याय के मर्मदर हैं वे सुक्ष्म दृष्टि से इन प्रावधानों का विश्लेषण करते हैं और इन के प्रावधानों को संविधान के विरुद्ध पाये जाने पर गिरफ्तारी को निरस्त करते हैं। दिल्ली शराब नीति/PMLA के मामलों में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नेताओं को Bail दी है। PMLA की धारा 45 के होते हुये भी, जमानत के मूल संदेश की पालना में जमानत ली है और 'BAIL' - 'NO JAIL' के सिद्धान्त को धारा 45 में In Bui मानकर जमानत ली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायक्टोरेट एम्फोसिन्ड बनाम दिलीप कुमार घोष, अभिषेक बनर्जी, बी स्मैथिल बालाजी के केस में जमानत दी है। कोर्ट ने कठोर दिया कि गिरफ्तारी क्यों की गई, इसके विवरण नहीं दिये और स्वयं आरोपी को भी व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तारी के कारण नहीं बतलाये अतः गिरफ्तारी ही अवैध है। केजरीवाल व उनके साथियों, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आदि की माननीय सुप्रीम कोर्ट के जमानत केवल इस आधार पर ली है कि परिस्थितियों को देखते हुये केस के शीघ्र निर्णय को दूर-दूर तक कोई संभावना दिखाई नहीं देती अतः Bail दी गई।

केजरीवाल व उनके साथियों के विरुद्ध जो केस चले हैं, मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट तक सबमें गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी गई है। मनीष सिसोदिया व केजरीवाल तथा उनके साथियों को जमानत मिल चुकी है। दिनांक 13.09.2024 के आदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है।

UDHR के बाद से जो भी अन्तर्राष्ट्रीय संघियों देशों के बीच में हुई, उनका प्रधान कारण था मानव की गरिमा की व जीवन की रक्षा करना। अतः यह आवश्यक माना गया कि इस्तेमालकर्ता देश अपने अपने कानूनों में तत्संबंधित विषय पर कानून बनायेंगे। आजादी के बाद देश ने अपना संविधान ड्राफ्ट करना प्रारम्भ कर दिया था। Constituent Assembly ने गम्भीर चर्चा के बाद संविधान के अनुच्छेद 20, 21 व अनुच्छेद 22(2) को संविधान में वांछित स्थान दिया। अविवेकपूर्ण गिरफ्तारी व

Detention को चेक करने के हेतु पर्याप्त प्रावधान बनाये गये। गिरफ्तारी के आधार क्या है और उसके विरुद्ध किस अपराध का चार्ज है। ये बातें स्पष्ट रूप से बतलाना जरूरी किये गये। Indian Criminal Procedure Code, 1973 में धारा 41 से धारा 60 तक इस विषय पर प्रक्रियाओं का वर्णन है। इन्हें संविधान में स्थान देकर मूल अधिकारों का भाग बना दिया गया। सबसे बड़ा न्यायकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। डीके बसु बनाम वेस्ट बंगाल के केस में (AIR 1997 SC 610) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत निर्देश (पेरा 36 में 11 निर्देश) इन विषयों पर दिये हैं। इनकी पालना करना आवश्यक है अन्यथा Contempt of Court को कार्यवाही की जा सकती है।

केजरीवाल व उनके साथियों के विरुद्ध जो केस चले हैं, मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट तक सबमें गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी गई है। मनीष सिसोदिया व केजरीवाल तथा उनके साथियों को जमानत मिल चुकी है। दिनांक 13.09.2024 के आदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने PMLA की धारा 45 के कठोर प्रावधानों को उपस्थिति में भी जमानत दी है। सिसोदिया को व अन्य को जमानत इसलिये दी गई है कि Speedy Justice देना इस केस में सम्भव नहीं है।

दिनांक 05.09.2024 को केजरीवाल के केस में खण्डपीठ के माननीय न्यायाधीश सूर्यकान्त व न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां ने जमानत पर बहस सुनी। दिनांक 13.09.2024 को आदेश सुनाया गया। माननीय दोनों न्यायाधीशों ने अपने-अपने अलग आदेश लिखे हैं।

माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकान्त ने अपने आदेश में केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध माना है, किन्तु माननीय न्यायाधीश भुइयां ने गिरफ्तारी को सही नहीं माना है। उन्होंने सीबीआई की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने ट्रिपल टेस्ट पर प्रकाश डाला है तथा Bail Je No Jail को नियम माना है।

दोनों न्यायाधीशों ने केजरीवाल को दस लाख रुपये के मुचलके पर Conditional जमानत दी है। न्यायाधीश भुइयां ने उन दो कंडीशन्स का उल्लेख किया है जो मनी लॉन्डिंग के केस में लगायी थीं और जिनका संबंध मुख्यमंत्री की कार्यशैली का है उस पर अपने मत को Judicial Discipline के आधार पर स्थापित किया है। इन्होंने यह अर्थ माना जाता है कि खण्डपीठ ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है, क्योंकि कंडीशन का आदेश Coordinate Bench का था।

उपरोक्त संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि त्वरित न्याय के सिद्धान्त को Bail - Jail नहीं की उद्घोषणा के आधार पर धारा 45, PMLA 2024 जैसे कठोर नकारात्मक प्रावधान के होते हुये भी जमानत ली जा सकती है।

6) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21, 22(1) व (2) का संबंध व्यक्ति की Liberty से है। उन्हें एक दूसरे नये रूप में Section 41-60 Criminal Procedure Code, 1973 में देखा जा सकता है। इसका आधार है अनुच्छेद 9 UDHR निर्देश देता है कि No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

7) कई कानून ऐसे हैं जिनमें देश की एकता व सुरक्षा के हेतु Detention के कानून बने हैं। ऐसे कानूनों में जमानत लेने पर प्रतिबंध है, केवल कठिन व कठोर परिस्थितियों में ही जमानत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर PMLA, 2022 की धारा 45 है, इसके अनुसार आरोपी को साबित करना होगा कि उपस्थित सबूतों के आधार पर उसके विरुद्ध केस नहीं बनता और ऐसा कोई केस नहीं है कि वह बेल के समय पुनः अपराध करे। जनरल कानून में जमानत दिये जाने के कारणों की व्यवस्था है। Bail - No Jail जमानत के बैसिक सिद्धान्त हैं। कानूनों की व्याख्या का सिद्धान्त है कि विशेष कानून जब लागू होता है तो सामान्य कानून अपनी राह छोड़ देता है। अभिषेक बनर्जी बनाम डीके दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के केस में आरोपी की तलबी के जो विशेष प्रावधान धारा 71 PMLA में दिये हैं उन्हें के अनुसार कार्य होगा, न कि जनरल कानून की पालना करे। इस पृष्ठभूमि में कानून वेत्ताओं को देखना होगा कि क्या धारा 45 PMLA की उपस्थिति में Bail Je No Jail का मूल सिद्धान्त लागू कैसे होगा?

8) सर्वोच्च न्यायालय ने Speedy Justice को मूल अधिकार माना है और एक आरोपी को सन 2020 में मृत्यु कारित के एक केस में 30.04.2022 को जमानत की दरखास्त खारिज की थी और 5 माह में ट्रायल पूरी करने के निर्देश दिये थे, किन्तु 17 गवाहों के बाद भी अभी गवाह लेना बाकी था। इस केस में अन्य आरोपियों की जमानत हो चुकी थी। अतः कोर्ट ने Speedy Justice और Fair Trial के सिद्धान्त पर बलविन्दर सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में दिनांक 10.9.2024 को जमानत ली। इस सिद्धान्त पर जमानत लेकर, जेलें खाली की जा सकती हैं।

9) Under Trial के मामलों में उन्हे देरी (Delay) का लाभ अनुच्छेद 21 के तहत अवश्य दिया जाना चाहिये। अनुच्छेद 7 ICCPR के संदर्भ में यह ध्यान रहना चाहिये 'Right not to be tortured' भी Under Trial का अधिकार है।

देश में यदि शान्ति चाहते हैं Corruption खत्म करना चाहते हैं तो जमानत का अधिकार सबको दो। गिरफ्तारी के साथ ही जमानत पर रिहा करें। 'First Bail, Jail after Fair Trial if guilt is proved.'

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

जिला कलेक्टर ने स्कूल में बच्चों की क्लास लेकर शुभकामनाएं दी

भीलवाड़ा, (निस)। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने गुरुवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापु नगर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विद्यालय में मिड-डे-मील योजनान्तर्गत परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता के संबंध में बच्चों से फीडबैक लिया। जब जिला कलेक्टर ने बच्चों से पूछा कि आपको कैसा भोजन मिला रहा है, तो जवाब मिला सर घर से भी अच्छा। जिला कलेक्टर ने बच्चों को हाथ धोकर खाना खाने सहित खाने के दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान देकर भोजन करने के संबंध में जानकारी दी।

इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में संचालित वोकेशनल लेब्स का भी अवलोकन किया और प्रधानाचार्य अवधेश कुमार शर्मा से लैब में बच्चों को सिखाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। एडीपीसी समग्र शिक्षा योगेश चंद्र पारीक ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत 63 राजकीय विद्यालयों में 14 ट्रेड में वोकेशनल एजुकेशन संचालित



जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कक्षा 11 की कॉमर्स की छात्राओं से सवाल पूछे।

की जा रही है। जिला कलेक्टर ने प्रधानाचार्य को वेस्ट टू बेस्ट को लेकर बच्चों में कलात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के संबंध में निर्देशित किया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने कक्षा 11 की कॉमर्स की छात्राओं को पढ़ाए जा रहे प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज टॉपिक के प्रश्न पूछे उन्होंने स्वयं क्लास लेकर बच्चों को टॉपिक समझाया और करियर को लेकर मार्गदर्शन देकर शुभकामनाएं दी। वहीं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मिड-डे-मील योजनान्तर्गत अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा संचालित केंद्रीकृत रसोई

घर न्यू बापुनगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने रसोई घर में तैयार होने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का जायजा लिया। उन्होंने रसोई घर के संचालन और भोजन तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिला कलेक्टर ने कहा कि मिड-डे-मील योजना का उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ और पीछे भोजन प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उन्होंने रसोई घर के संचालन को भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीपीसी समग्र शिक्षा योगेश पारीक, अक्षय पात्र फाउंडेशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

बनवारी खामोश और कृष्णानंद व्यास को मनुज साहित्य और कला सम्मान मिलेगा

जयपुर। डॉ. ओ.पी. शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट, चुरू द्वारा साहित्य और संगीत को दो हस्तियों बनवारी खामोश और कृष्णानंद व्यास को प्रतिष्ठित मनुज साहित्य और कला सम्मान-2024 से विभूषित किया जायेगा।

डॉ. ओ.पी. शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट, चुरू के संरक्षक तेजकरण सुराणा और प्रबंधन ट्रस्टी डॉ. सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चुरू के सभागार में 22 सितम्बर को आयोजित ट्रस्ट के वार्षिक समारोह में ख्यातनाम कवि बनवारी लाल शर्मा खामोश को मनुज साहित्य सम्मान और प्रख्यात तबला वादक पंडित कृष्णानंद व्यास को मनुज कला सम्मान अर्पित किया जायेगा। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सक और संस्कृतिकर्मी



बनवारी खामोश और कृष्णानंद व्यास

डॉ. प्रमोद बाजोरिया करेंगे। मुख्य अतिथि न्यायाधीश डॉ. शरत कुमार

व्यास एवं सूत्रधार विचारक और साहित्यकार प्रो. कमल कोटरी होंगे। साहित्यकार बनवारी खामोश साहित्यकार बनवारी खामोश हिंदी और राजस्थानी के सुप्रसिद्ध लेखक, कवि, गजलकार, व्यंग्यकार और लघु कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। अनेक पुस्तकों के रचयिता और दर्जनों प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित 70 वर्षीय खामोश की हजारों रचनाएं देश विदेश की पत्र-पत्रिकाओं में बहुतायत से प्रकाशित हुई हैं। बनवारी खामोश की 1976 से आकाशवाणी और दूरदर्शन पर गीत, गजले, नज्मे कविताएं निरंतर प्रसारित हो रही हैं। तबला वादक पंडित कृष्णानंद व्यास तीनों और संगीत की दुनिया के नामी हस्ताक्षर 83 वर्षीय पंडित कृष्णानंद

व्यास ने सात साल की आयु में संगीत की दुनिया में अपने तबले की आवाज का जादू बिखेरना शुरू कर दिया था। उन्होंने संगीत की महफिल में अनेक बार एकल तबला वादन प्रस्तुत कर प्रतिष्ठा अर्जित की। देश के ख्यातनाम गायकों और संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर संगत कर चुके हैं। संगीत भारती से बेजोड़ तबला वादक पुरस्कार, रंजी से ताल मारते सम्मान प्राप्त किया। बीकानेर में संगीत मनीषी पं. जयचंद शर्मा अवाड के अलावा पद्मश्री अल्लाह जिलाई बाई स्मृति मांड अवाड सहित दर्जनों सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। जयपुर, पटना, राजी व गुजरात के आकाशवाणी केंद्रों व जयपुर दूरदर्शन से इनके कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो चुके हैं।

बिछड़े पिता से बीस साल बाद मिले बेटे, आंखों से छलक उठे खुशी के आंसू

अजमेर, (कास)। अजमेर में लोहागल स्थित अपना घर संस्था आश्रम ने 20 साल से बिछड़े पिता को बेटों से मिलाया। पिता से मिलकर बेटों की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे।

अपना घर संस्था के प्रबंधक भगवान स्वरूप ने बताया कि वाराणसी निवासी बाबूलाल मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। 20 साल पहले अकेले अपनी बहन से मिलने गए थे। बहन के घर कुछ दिन रहने के बाद जब वह ट्रेन में बैठकर घर लौट रहे थे, तभी वे घर पहुंचने के बजाए किसी अन्य रेलवे स्टेशन पर उतर गए। इसके बाद बाबूलाल 20 सालों तक खानाबदोश का जीवन जीते रहे। परिवार ने उन्हें ढूँढने की हर जगह तलाश की, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। बाबूलाल भी अपने परिवार और घर का पता भूल गए थे। अजमेर आरपीएफ के जवानों ने पहुंचाया था अपना घर :-संस्था के प्रबंधक भगवान ने बताया कि बाबूलाल 7 अगस्त को अजमेर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। मानसिक रूप से विकृत अथेडु को देख



अपना घर में बेटों से मिलने के बाद परिजनों के चेहरे पर खुशी दिखाई।

स्टेशन पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल ने उन्हें अपना घर संस्था भिजवा दिया। संस्था द्वारा बाबूलाल का जेएलएन अस्पताल के मानसिक रोग विभाग से उपचार कराया। चिकित्सकों की देख-रेख में दवा से बाबूलाल को धीरे-धीरे सब कुछ याद आने लगा और उन्होंने संस्था पदाधिकारियों को अपने परिवार के बारे में जानकारी दी। संस्था द्वारा वाराणसी में अपना घर संस्था को अगवत

कराया। वीडियो कॉल पर परिवार से बातचीत भी करावाई। पहचान होने के बाद उनके पुत्र शुभम कुमार अपने भाई के साथ गुरुवार को अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचे बेटे जब अपना घर संस्था पहुंचे और पिता बाबूलाल को देखा तो तीनों के आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। यह नजारा देख संस्था के पदाधिकारियों की भी आंखें नम हो गईं। बेटों ने बताया कि उनके पिता को वाराणसी में लोग डॉ. बाबू

20 साल पहले बहन से मिलने गए थे, वापस घर पहुंचने के बजाए किसी अन्य रेलवे स्टेशन पर उतर गए थे

सात अगस्त को मानसिक रूप से विकृत अथेडु को देख स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने अपना घर संस्था भिजवा दिया था

की तलाश कर उन्हें अपने यहां पर रखते हैं और उनका निशुल्क उपचार करावते हैं। उनके यहां पर रहने और खाने की भी निशुल्क व्यवस्था है। स्वच्छ होने के बाद ऐसे लोगों को उनके परिवार से भी मिलवाया जाता है। संस्था अब तक करीब पांच सौ बिछड़ों को परिवार से मिला चुकी है।

राशिफल शुक्रवार 20 सितम्बर, 2024



पंडित अनिल शर्मा

अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2081, अश्विनी नक्षत्र रात्रि 2:43 तक, ध्रुव योग दिन 3:18 तक, वणिज करण दिन 10:18 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मिथुन, बुध-सिंह, गुरु-वृष, शुक-तुला, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वाथ सिद्धि योग रात्रि 2:43 तक है। भद्रा दिन 10:58 से रात्रि 9:16 तक रहेगी। आज तीज का श्राद्ध है। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:44 तक, लाभ-अमृत 7:44 से 10:50 तक, शुभ 12:20 से 1:51 तक, चर 4:52 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:18, सूर्यास्त 6:22

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे। महत्वपूर्ण कार्य में उचित सफलता मिलेगी।

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों के कारण समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। अनावश्यक धन खर्च होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चन दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
शुभ कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बने लगे। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज बने कार्य विगड़ सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदंड रहेगी। यात्रा में परेशानी बनी रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। चर्चेत कार्य सुगमता से बने लगे। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक अड़चन दूर होने लगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ-मंगलिक संदेश प्राप्त होगा।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण परामर्श मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होगा।

मीन
आर्थिक कार्यों से अटक हुए कार्य बने लगे। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।